फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

प्रार्थी :– होमाराम पुत्र लाबुराम –::बनाम::– अप्रार्थी :– तहसीलदार

किस्म मुकदमा :– राजस्व प्रा.पत्र नम्बर :– 105/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हक हुक्म की तामील में जारी हुए
13.06.23	प्रार्थी उपस्थित।	

प्रार्थी उपस्थित।

राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प आसरलाई में पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 RT Act. के तहत् पेश किया। प्रार्थी का प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा–आसरलाई में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 763 के ख.नं. 246 एवं खाता सं. 322 के ख.नं. 167, 347, 348 में प्रार्थी की संयुक्त सहखातेदारी की भूमि हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम सोमाराम पुत्र लाबु दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में होमाराम पुत्र लाबुराम हैं, प्रार्थी ने अपना अशुद्ध नाम सोमाराम पुत्र लाबु के स्थान पर होमाराम पुत्र लाबुराम शुद्ध किये जाने का निवेदन किया हैं।

प्रशासन गांवो के संग अभियान आसरलाई में मजमा–ए–आम में जानकारी प्राप्त की गई। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक निमाज व तहसीलदार जैतारण ने जांच कर, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें मौजा–आसरलाई में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 763 के ख.नं. 246 एवं खाता सं. 322 के ख.नं. 167, 347, 348 संयुक्त खातेदारी की भूमि आयी हुई हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम सोमाराम पुत्र लाबु दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में होमाराम पुत्र लाबुराम दर्ज हैं, प्रार्थी का नाम सोमाराम पुत्र लाबु के स्थान पर होमाराम पुत्र लाबुराम शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता हैं। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक निमाज व तहसीलदार जैतारण की अभिशंषा के आधर पर मौजा–आसरलाई में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 763 के ख.नं. 246 एवं खाता सं. 322 के ख.नं. 167, 347, 348 में प्रार्थी के नाम की त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध प्रविष्टि सोमाराम पुत्र लाबु को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम " होमाराम पुत्र लाबुराम " दर्ज करते हुये तहसीलदार जैतारण को इसी अनुरूप भू–अभिलेख अद्यतन किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता हैं, अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। आदेशिका [illegible] तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली [illegible] होकर नम्बर से कम हो। [illegible] तकमील [illegible] पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
SDO
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 12:13:44 IST
Reason: SelfAttested